रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-36/2025/1845/22-2-2023-17(26)/2017
लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह (बन्दी संख्या-20484) पुत्र श्री सियाराम, निवासी- ताजपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जिला-फर्रूखाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-50/1986 धारा-302/149, 307/149, 148 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 वि□शेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.01.2023 तक 18 वर्ष 05 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 06 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 18.01.2023 तक 58 वर्ष है। बन्दी द्वारा अपरिहार 18 वर्ष 05 माह 05 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 06 माह 28 दिन की भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नही किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2025/1845(1)/22-2-2023-17(26)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।**
3- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।